

# फट अहकाम

( नियम 26 )

अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

जब प्र. कुमा जार नि कडवासे का प्रीय बनाम प्रो. धारा प्र. सुगाराम कौमा (17)

अगख्या नौखडा



नि अगख्या

(18) डा. विद्याधी अमिन्ना लार्ज जिनिकु रिमर्ष

(19) पी डब्ल्यू डी देवेदार

(20) तस्वीखर नौखडा

किस्म मुकदमा राजस्व अविदत ..... अधि. मुकदमा नम्बर ..... 169 / 23

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/8/23	<p>प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री चिमन सिंह</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 212 ..... राजस्थान</p> <p>कारतकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज</p> <p>रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर</p> <p>पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/9/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर                      (S.D.O.) गुडामालानी                 </p>	
15/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>हम दीगर आवश्यक कार्यों</p> <p>में व्यस्त है। अतः इत्यादि होकर</p> <p>पत्रावली आइन्दा 15/9/23 को पेश हो।</p>	
15/12/23	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा आप्रार्थीगण के सम्मन प्र</p> <p>द्वारा भेजकर पोस्ट ऑफिस की रिपोर्ट</p> <p>पेश की गयी। रिपोर्ट आगिन मिलान हो</p> <p>अप्रार्थीगण अनुपस्थित। ईतजा हाकर</p> <p>पत्रावली दिनांक 24/02/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर                      गुडामालानी                 </p>	
26/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>हम दीगर आवश्यक कार्यों</p> <p>में व्यस्त है। अतः इत्यादि होकर</p> <p>पत्रावली आइन्दा 26/2/24 को पेश हो।</p>	



# फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

अहकाम  
जो इस हुकम को  
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए/पावती
28/7/24	पत्रावली कर के हक में जारी की जा रही है। जाही के कब्जेवाला मरुप्रस्थित जाही को मय कब्जेवाला कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन भागों में बाँटा गया। बावजूद बाँटने के जाही व जाही के कब्जेवाला मरुप्रस्थित गैर उक्त उक्त उक्त जाही के हक जारी व हक पैरकी में खारेज किया जाता है। पत्रावली निर्दिष्ट सुमा होफा इविल इफला है।	212 RTA